शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नाम :– संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।) Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable.	किसान समृद्धि योजना Kissan Samridhi Scheme
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ? Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?	पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। State Govt. Sponsored Scheme.
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि विभाग Department of Agriculture.
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.	उप संचालक कृषि Deputy Director Agriculture
5.	योजना का उद्देश्य. Objective of the Scheme.	1. कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नलकूप निर्माण के लिये अनुदान। 2. कृषको के स्वयं के सिंचाई स्त्रोत निर्मित कर प्रदेश के सकल सिंचाई रकबे में वृद्धि करना। 3. फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि। 1. Subsidy provide to farmers for tubewell with an aim to increasing the irrigation efficiency. 2. To increase the irrigation acreage of the state. 3. To increase the production and productivity of the different crops.
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित है। All Districts of the State.
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष महिला आदि) Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)	सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र है। ategories of farmers will be beneficiaries of the scheme.
8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मापदण्ड, आदि कोई हो तो	1. स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण से खनित नलकूप हेतु खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन पर

	Eligibly criteria for the beneficiary if ny.	अनुदान की पात्रता। 2. अन्य कृषि कार्य में बैंक ऋण प्रकरण में कृषक का डिफाल्टर न होना। 3. बैंक खाते के माध्यम से ही अनुदान की पात्रता। Eligibility for Subsidy - 1. Self expense or bank loan sanctioned for tubewell digging and pump establishment except subsidy amount. 2. Should not be defaulter in any bank loan. 3. Loan should be paid through bank account.
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.	योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत स्तर में दी जाती है। Loan sanctioned for individual under the scheme.
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए। दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%) Minimum, Maximum GOI Contribution State Government Contribution	अनुदान का विवरण निम्नानुसार है किसान समृद्धि येाजना :– (अ) सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के खनन लागत या अधिकतम 10,000/– तथा सफल नलकूप में पंप एवं सहायक सामग्री की लागत या अधिकतम 15,000/– (ब) अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों का खनन लागत या अधिकतम 18,000/– तथा सफल नलकूप में पंप एवं सहायक सामग्री की लागत या अधिकतम रू. 25,000/– (स) अन्य पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों का खनन लागत या अधिकतम 15,000/– तथा सफल नलकूप में पंप एवं सहायक सामग्री की लागत या अधिकतम रू. 20,000/– Subsidy Pattern as fallow Kishan Smridhi Yojana :- (a) Drilling cost or max. Rs. 18000/- (b) Cost of pump and accessory item or max. Rs. 25000/- (on successfully tube wells only) I. Drilling Subsidy : For General Category farmer cost of drilling or Rs. 10000 maximum , SC/ST category farmers drilling cost or maximum Rs. 18000& for OBC category farmers drilling cost or maximum Rs. 15000 II. Pump subsidy on successful tubewell : For General Category cost of pump and accessory or maximum Rs. 15000 , SC/ST category farmer cost of pump and accessory or maximum Rs. 25000.& OBC category farmer cost of pump and accessory or maximum Rs. 20000

11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.	विभाग द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने हेतु किसी प्रकार के मार्जिन मनी जमा नहीं कराई जाती किन्तु कृषकों को ऋण स्वीकृत करवाने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करना होता है। No provision for margin money but required formalities should fulfill by farmers for loan sanctioning bank.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नाम :– संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर।

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।) Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable.	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना State Govt. Under promotion programme of Sprinkler & Drip system.
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ? Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?	राज्य पोषित योजना State Govt. Sponsored Scheme.
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि विभाग Department of Agriculture
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.	उप संचालक कृषि Deputy Director Agriculutre
5.	योजना का उद्देश्य. Objective of the Scheme.	1. सिंचाई पानी का बेहतर उपयोग। 2. साग–सब्जी एवं अन्य नगदी फसलों को बढ़ावा देना। 1. Better use of irrigation water. 2. Promotion of vegetable and other cash crops.
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित है। Implementing in all district of the State.
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष महिला आदि) Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)	सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र हैं। Farmers of All Categories.
8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मापदण्ड, आदि कोई हो तो	1. स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण से 5 हे. तक के लिये स्प्रिंकलर पर अनुदान की पात्रता। 2. अनुदान राशि जिले के उप संचालक कृषि द्वारा कृषक को दी जावे। Eligibility for subsidy-

<table>
<tr><td></td><td>Eligibly criteria for the beneficiary if any.</td><td>1. Subsidy to farmers for sprinkler for maximum area of 5ha.
2. Subsidy disburse to farmer's by Dy. Director Agriculture of District.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।
Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.</td><td>योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत स्तर पर दी जाती है।

Assistance is provided on individual basis.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।
दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम

Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details
Rate (%)
Minimum, Maximum
GOI Contribution
State Government Contribution</td><td>सभी वर्ग के कृषकों को निम्नानुसार अनुदान है।
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>इकाई लागत</th><th>लघु एवं सीमांत कृषक 75%</th><th>अन्य 50%</th></tr>
<tr><td>स्प्रिंकलर</td><td>19044</td><td>14283</td><td>9522</td></tr>
</table>
Subsidy pattern for all category of formers as follows :
<table>
<tr><th>Item</th><th>Unit Cost</th><th>Small & Marginal 75%</th><th>Other 50%</th></tr>
<tr><td>Sprinkler</td><td>19044</td><td>14283</td><td>9522</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।
यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।
Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.</td><td>विभाग द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने हेतु किसी प्रकार के मार्जिन मनी जमा नहीं कराई जाती।

No of margin money is required for sanction of subsidy.</td></tr>
</table>

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नाम–छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप–योजनावार प्रेषित की जाए)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
	Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	SC/ST
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	जी हॉ
	Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	Yes
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग।
	Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	SC ST Development Department.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. जिला।
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	Collector/ Chairman, Zila Antyayavasayi Sahakari Vikas Samiti maryadit.
5	योजना का उद्देश्य।	स्वरोजगार द्वारा आर्थिक विकास योजना
	Objective of the Scheme.	Money development scheme by self-employment.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	राज्य के सभी जिलों में योजना संचालित।
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State? If not, indicate the regions/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.	The scheme is being implemented in all the districts of the State.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष /महिला आदि	अनु.जाति, अनु. जनजाति
	Type of Beneficiaries covered under the	The Beneficiaries of SC/ST

	Scheme.(SF/MF/OF/SC/ST/ Others / Men / Women, etc.).	
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	गरीबी रेखा के नीचे ।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	Below Poverty line.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	व्यक्तिगत स्तर पर।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Individual basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये। दर (%) न्यूनतम अधिकतम	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, को ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 10,000/– तक अनुदान जो भी कम हो देय होगा।
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	Loan to SC/ST 50% of total cost of Project or Rs 10,000 which ever is less.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	नही
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।	कृषि संबंधित क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र/सेवा/परिवहन क्षेत्र एवं सभी क्षेत्रों में ।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme.	Agriculture area, Industrial area, Service / Transport area.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	राषि रू. 20,000/– से अधिक
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	More than Rs. 20,000/-

14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अ.जा.) आदिवासी स्वरोजगार योजना ऋण (अ.ज.जा.) बैंक प्रवर्तित योजनाएँ है।
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Antyodaya Swarojgar Yojana (SC) Adiwasi Swarojgar Yojana Loan (ST)
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	आवश्यक नहीं पूर्व पेर्टन पर है।
	Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Not required. Based on previous pattern.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	निगम द्वारा उपरोक्त योजना बैंक के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम स्वयं के द्वारा (राज्य से) एवं राष्ट्रीय निगम से वित्त पोषित योजनाओं में सीधे ऋण सहायता देने एवं प्रषिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है। बैंक प्रवर्तित योजनाओं में निगम द्वारा प्रषिक्षित युवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है।
	Additional details if any	The scheme is being executed through banks. In addition to this, the corporation also provides direct loan and organises training under state sponsored and national corporation sponsored schemes. The youths trained by the corporation are also included in bank sponsored schemes.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम–संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप–योजनावार प्रेषित की जाए) **Name of the scheme with su-components, if any (Please give the following details sub-componentwise, if applicable)**	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण Fish Farmer Development Agency.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । **Whether it is a Government of India/State Government Sponsored Scheme?**	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण केन्द्र प्रवर्तित योजना Centrally Sponsored Scheme
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। **Nodal Department at the State Government level responsible for implementing the Scheme**	मछलीपालन विभाग, छत्तीसगढ़ Fisheries Department Chhattisgarh
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग **Nodal department at the District level responsible for implementing the Scheme**	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण जिलों में पंजीकृत संस्था है, इसके अध्यक्ष संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत है । Fish Farmer Development Agency is a Registered body.

5	योजना का उद्देश्य **Objective of the Scheme**	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के उद्देष्य निम्नानुसार है:– 1. ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति कराना । 2. पड़ित जलक्षेत्र में संघन मछली पालन के कार्य के अंतर्गत लाना तथा उनमें अधिक मत्स्योत्पादन करना । 3. मत्स्य कृषक जिन्हें तालाब 10 वर्षीय पट्टा दिया गया हे, सघन मछली पालन विधि अल्पावधि प्रषिक्षण योजना है। 4. मत्स्य कृषकों को तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूंजी के लिये बैंक से लम्बी अवधि को ऋण तथा शासकीय अनुदान उपलब्ध कराकर उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करना। 1. BPL families are beneficiaries and tanks are given them for 10 year lease. They develop their socio economic condition through fish culture. 2. Barran water area are utilised throught integrated fish farming. 3. Idendity fish farmers those who have provided tanks on lease for 10 years are trained for integrated fish farming and short term training. 4. Loan and subsidy will be provided for 1st year fish culture and repairing of tank to get more target fish production.

6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों विकासखंडों के नाम दर्शायें जाए । **Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/Districts/blocks where the Scheme is under implementation.**	राज्य के पुराने 7 जिलों में योजना पंजीकृत है, जिसके अधीन प्रदेष के सभी नये जिले आ रहे है । FFDA is rgistered is 7 districts of the state and all new distriects covered this scheme.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/ सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष/ महिला आदि) **Type of Beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/Women etc.)**	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे है को हितग्राही बनाया जाता है । Under FFDA Scheme beneficiaries are BPL class.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मापदण्ड, यदि कोई हो तो ? **Eligibility criteria for the beneficiary, if any**	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों को हितग्राही बनाया जाता है । इसके लिये निर्धारित प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है :– 1. मछुआ/अजजा/अजा की सहकारी समिति। 2. मछुआ/अजजा/अजा के समूह । 3. मछुआ/अजजा/अजा व्यक्ति विषेष। 4. विस्थापित मछुआ समिति/समूह/ व्यक्ति । 5. स्व सहायता समूह । Illigibility criteria for this scheme is BPL. Priorities fixed are as under:- 1. Society of fishermen ST/SC. 2. Group of fishermen ST/SC. 3. Individual fishermen ST/SC. 4. Migrated societies group/individual. 5. Self help group.

9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत व समूह स्तर पर दी जाती है ? **Whether assistance is provided on an individual basis/group basis/both, individual and group basis**	सभी श्रेणी के मत्स्य पालकों को केवल एक बार सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान है । Subsidy provision only once for all classes of fishermen whether they are societies/ groups/individual.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये । **Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the bassis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)** **Minimum** **Maximum** **GOI contribution** **State Govermnt contribution**	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पषुपालन एवं डेयरी विभाग नई दिल्ली के पत्र क्र. 31013/4/2001–fy(3) दिनांक 26.3.04 की छायाप्रति संलग्न है । इसमें निर्धारित पैटर्न अनुसार ही मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत 1 से 15 आयटमों में हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । इसमें से 75 प्रतिषत भारत सरकार तथा 25 प्रतिषत राज्य ष्शासन द्वारा वहन किया जाता है । Photocopy of letter no. 31035/4/2001-fy(3) of Govt. of India Agriculture Ministry, Veternary, Dairy and Fisheries Department, New Delhi. Expenditure on all items below will be shared on 75:25 basis between Govt. of India and State. the pattern of subsidy will be provided to beneficiaries as per approved pattern for fish farmer development agency in the item no. 1 to 15 as follow:- **1.तालाबों का निर्माणः–(एन.एम.पी.एस.योजना अन्तर्गत)** 1.1 तालाबों का निर्माण – अधिकतम 10 हे./हितग्राही हेतु तालाब निर्माण की राशि रू. 5.00 लाख प्रति हे. एवं मत्स्य उत्पादन के लिये राशि रू. 2.00 लाख अनुदान की दर 40 प्रतिषत सभी किसानों के लिए integreted aquaculture approach scheme के तहत् देय होगी। 1.2.मत्स्य बीज संवर्धन पोखर का निर्माणः– अधिकतम 10 हे./हितग्राही हेतु तालाब निर्माण की राशि रू. 6.00 लाख प्रति हे. एवं मत्स्य उत्पादन के लिये राशि रू. 2.00 लाख अनुदान की दर 40 प्रतिषत सभी किसानों के लिए integreted aquaculture

		approach scheme के तहत् देय होगी। **1. Construction of new ponds: Under NMPS** 1.1 Construction of new ponds- Rs. 5.00 lakh/ha.for construction of pond and Rs. 2.00 lakh/ha. for input cost for fish production in one unit of integreted aquaculture approach scheme. Under scheme subsidy @ of 40% with a cealing of Maximum10ha./BF for all fish farmers . 1.2. Construction of fish nursery ponds- Rs. 6.00 lakh/ha.for construction of fish nursery pond and Rs. 2.00 lakh/ha. for input cost for seed rearing in one unit of integreted aquaculture approach scheme. Under scheme subsidy @ of 40% with a cealing of Maximum10ha./BF for all fish farmers. 2.तालाबों/टेंकों का पुनर्रूद्धार/नवीनीकरण रू. 75000/हे.। अनुदान दर सभी किसानों को रू. 15000/हे. अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिषत की दर से अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रू. 18750/हे. । 2. Reclaimation/Renovation of ponds/tanks Rs. 75000/ha. subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 15000/ha. for all farmers except SCs/STs for whom it will be Rs.

		18750/ha. (25%). 3. परिपूरक आहार हेतु : अ. फिनफिष कल्चर– रू. 50000/हे. अनुदान दर सभी किसानों को 20 प्रतिषत की दर से अधिकतम सीमा रू. 10000/हे. अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रू. 12500/हे. रू. 25 प्रतिषत । ब. मीठे जल में झींगा पालन– इकाई लागत रू. 1.80 प्रति हे. अनुदान की दर 20 प्रतिषत अधिकतम सीमा रू. 36000/हे.। अजा/जजा 45000/–(25%). 3. Cast of inputs A. Finfish culture - Rs. 50000/ha. subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 10000/ha. for all farmers except SCs/STs for whom it will be Rs. 12500/ha. (25%). B. Fresh water prawn culture – Unit cost Rs. 1.80/ha. subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 36000/ha for ST/SC Rs. 45000/-. 4. ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी – मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन (फ्राई) क्षमता वाली 1 मत्स्य बीज हैचरी के लिए रू. 12 लाख तथा पहाड़ी राज्यों/जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामान्य क्षमता के साथ रू. 16 लाख अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिषत की दर से अधिकतम सीमा रू. 1.20 एवं 1.60 अनुदान सहायतार्थ केवल उद्यमियों को । 4. Fresh water fish seed hatchery : Rs. 12

		lakh for a fish seed hatchery with 10 milion (fry) capacity for the plain area and Rs. 16 lakh for same capacity in the hill state/district and NE region subsdiy @ 10% with a cealing of Rs. 1.20 & 1.60 in the hilly areas to enterpreneurs only. 5.फिषफिड यूनिट : छोटी इकाई हेतु इकाई लागत रू. 7.50 लाख जिसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विटल है अनुदान की दर 20 प्रतिषत के साथ अधिकतम सीमा रू. 1.50 लाख प्रति इकाई उद्यमियों को। 5.Fish Feed Unit : Small unit Uinit cost is Rs. 7.50 lakh with a capacity of 1.2 qintal/ day. The subsidy would be @ 20% with a sealing of Rs. 1.50 lakh/unit to enterprnure. 6.टाऊट ताजा जल झींगा बीज हैचरी की स्थापना – (1) 25 मिलियन पीएल/वर्ष की क्षमता वाली एक बड़ी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 30.00 लाख रूपये है । यह राज्य स्तर पर हैचरी की स्थापना के लिए राज्य को एकमुष्त अनुदान । (2) 5 से 10 मिलियन पीएल/वर्ष की क्षमता वाली छोटी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 12 लाख रूपये है । केवल उद्यमियों को रू. 2.40 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिषत की दर से एक बार देय । 6.Establishment of trout and fresh water prawn seed hatchery: (1) Unit cost is Rs. 30.00 lakh for a large fresh water prawn hatchery with a minimum capacity of 25 million PL/year. This would be one time grant to state for establishment of hatchery at state level. (2) Unit cost of is Rs. 12 lakh for a small hatchery with 5-10 millions PL/year capacity. Subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 2.40 lakh to entrepreneur as

		one time grant. 7. प्रत्येक एफएफडीए को मिट्टी एवं जल परीक्षण कीट का प्रावधान है – प्रत्येक मिट्टी एवं जल परीक्षण कीट की यूनिट लागत रू. 30 हजार है । प्रत्येक एफएफडीए को एकमुष्त अनुदान के रूप में एक बार कीट मंजूर की जाती है । 7.Provision of soil and water testing kits to each FFDA : Unit cost of each soil and water testing kits is Rs. 40000. The kits are sanctioned once to each FFDA as one time grant. 8.सजावटी मछलियों के लिए हैचरियां सहित समेकित इकाईं का गठन : इकाई लागत रू. 15.00 लाख जिसमें 5–10 मिलियन (फ्राई) की क्षमता की हैचरी ष्शामिल है । मत्स्य किसानों की सभी श्रेणियों के लिए रू. 1.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिषत की दर से अनुदान सहायता । 8.Setting up of integrated units, including hatacheries for ornamental fishes; Unit cost is Rs. 15.00 lakh, which includes hatchery of 5-10 million (fry) capacity. Subsidy @ of 10% with a maximum cealing of Rs. 1.50 lakh to all categories of fish farmers. 9.सजावटी मछलियों के प्रजनकों को रखने की व्यवस्था हेतु रू. 25 लाख प्रति इकाई इसमें एक फार्म परिवहन की पूरी व्यवस्था होगी । यह राज्य ष्शासन के लिए उपलब्ध है । 9. Brood banks for ornamental fishes-Rs. 25 lakh per unit including a farm, transport arrangements for dissemination. Available for the State Governments. 10.आलंकारिक/मत्स्य बीज का प्रमाणिकरण–रू. 25 लाख प्रति ईकाइ । इसमें मछली रखने की व्यवस्था एवं इनकी बीमारियों की जॉच हेतु लैब की व्यवस्था । यह

		राज्य शासन के लिए उपलब्ध है । 10.Ornamental/fish seed certification- Rs. 25 lakh per unit including fish holding facilities and diseases diagnostic laboratories. Available for the State Governments. 11.मत्स्य/झींगा बीज की ढुलाई यह केवल पहाड़ी राज्यों/जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लागू होगा । सभी एफएफडीए को ढुलाई किए गए हजार फ्राई के लिए रू. 20 की दर से अनुदान सहायता व्यक्तिगत किसानों के लिए लागू नहीं । 11.Transporation of fish/prawn seed:- This will be applicable only for the hill state of the districts and NE region. Subsidy @ of Rs. 20 for 100 fry transported to all FFDAs. Not applicable to individual fish farmer. 12.वाहनों की खरीद – नए मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (एफएफडीए) के लिए वाहन की 50 प्रतिषत लागत तथा वाहन बदलने (दूसरा वाहन) के लिए 50 प्रतिषत लागत । 12.Purchase of vehicle : 50% cost of vehicle for each new FFDA and 50% cost for the replace vehicle (Second vehicle).
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिनन प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए । **Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof than please be provided for different categories of beneficiaries.**	नहीं । No.

12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित है । **Type of economic activities envisaged under the scheme**	ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना है । To improve socio economic activities of BPL families in rural area they are provided tanks to fish farming and provided loan and subsidy also.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें । **Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for single borrower/group. If so, please give details.**	कुल लागत की सीमा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत राषि के अंतर्गत है । No ceiling has been fixed for individual/ groups.
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है । **Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.**	हां है । Yes.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य ष्शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये है । **Whether any project profiles etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.**	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में कार्यरत है । भारत ष्शासन के परिपत्र के बिन्दु क्र. 1 से 12 में उल्लेखित अनुसार अनुदान राषि दी जाती है । Govt. of India memp point No. 1 to 12.

16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। **Additional details, if any.**	नहीं है । No.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नाम :– संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप–योजनावार प्रेषित की जाए।)	1) बैंक ऋण पर फलोद्यान अ. केला ब. पपीता स. आम 2) अनुबंधित उद्यानिकी फसल क्षेत्र विस्तार योजना
	Name of the scheme with Sub-Components, if any.	1) Fruit Plantation on Bank Loan Banana Papaya Mango 2) MOU of Aromatic Crops
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	1) राज्य योजना 2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना
	Whether it is a Government of India/state Government sponsored Scheme ?	1) State Scheme 2) State & Central Govt. Scheme
3	राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उद्यानिकी (कृषि विभाग)
	Nodal department/directorate at the State level responsible	Horticulture Department (Agriculture Department)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उप/सहायक संचालक उद्यान
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	Dy./Asst. Directore Horticulture
5	योजना का उद्देश्य	* व्यवसायिक केलों की खेती को बढ़ावा देना * व्यवसायिक पपीता की खेती को बढ़ावा देना * व्यवसायिक आम की खेती को बढ़ावा देना * कृषकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु फल एवं औषधीय फसलों की खेती की योजना
	Objective of the Scheme.	* To Promote the Commercial Cultivation of Banana * To Promote the Commercial Cultivation of Papaya * To Promote the Commercial Cultivation of Mango * Cultivation of fruit and medicinal crops for Additional Income of farmers
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	1. **अ** – सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। **ब** – सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। **स** – सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। 2. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।
	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	1. a - Being implemented in all Distt. b - Being implemented in all Distt. c - Being implemented in all Distt. 2. Being implemented in all Distt.

7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पुरूष/महिला आदि।	1) सभी वर्ग के सिंचाई सुविधा युक्त कृषक। 2) सिंचाई साधन युक्त भू–स्वामी कृषक।
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/ Wonen etc.	1) All types of farmers alongwith irrigation facilities 2) Land holding farmers for identified crops.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	1) नाबार्ड द्वारा नियत मापदंड 2) चयनित फसल उगाने हेतु उपयुक्त भूमि के भू–स्वामी कृषक
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	1) As per criteria prescribed by the NABARD. 2) Landowner farmer of the land to produce identified crops.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	1) व्यक्तिगत स्तर पर 2) व्यक्तिगत/समूह स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	1) Individual 2) Individual/Group
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)	अ. अनुदान प्रति हे. 5500/– एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हे. रूपये 11000/– या 25 प्रतिशत अनुदान ब. 5250/– प्रति हे. एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हे. के लिए रूपये 11500/– या 25 प्रतिशत अनुदान। स. प्रति हेक्टर हेतु अनुदान रू.10937.50 जिसमें प्रथम वर्ष 3967.50 द्वितीय वर्ष 1395/– एवं तृतीय वर्ष 1635/–रूपये चतुर्थ वर्ष 1897.50 एवं पंचम वर्ष में 2042.50 एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हें. या 25 प्रतिशत अनुदान। 2. प्रत्येक कृषक को आम क्षेत्र विस्तार योजना, औषधीय एवं सुगंधित फसल विस्तार योजना तथा टपक सिंचाई योजना की लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा।
	Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution	a. Per beneficiary the subsidy will be provided for 1 hec. Rs. 5500/- & maximum upto 2 hec. is Rs. 11000/- or 25% b. Per beneficiary the subsidy will be provided for 1 hec. Rs. 5250/- & maximum upto 2 hec. is Rs 11500/- or 25% c .Per hectare subsidy is Rs. 10937.50 in which first year subsidy is 3967.50 for second year Rs. 1395/- 3rd year Rs.1635 /- 4th year Rs.1897.50 and 5th year Rs. 2042.50 will be paid and maximum subsidy for 2 hectare or 25% 2.Maximam 25% subsidy will be provided to each farmer for mango plantation. Aromatic & Medicinal Crops & Drip Irrigation.
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	नहीं
	whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other then subsidy being provided if so,details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No

12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है ।	1. केले की बगीचे लगाना 2. पपीता के बगीचे लगाना 3. आम के बगीचे लगाना 4. आम फलोद्यान एवं अंतराशस्य, पचौली, खस, लेमनग्रास, जामारोजा फसल लगवाना तथा उनका विक्रय भी एम.ओ.यू. के तहत सुनिश्चित करना ।
	Type of economic activities envisaged under the scheme.	1. Plantation of Banana. 2. Plantation of Papaya. 3. Plantation of Mango. 4. Plantation of Mango and inter culture cropping, Pacholi, Khas, Lemongrass, Jamaroja and sale through MoU.
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	**अ.** रू. 22000/– प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे. अधिकतम 44000/– **ब.** रू. 23000/– प्रति हे. एक हितग्राही के लिए अधिकतम 46000/– **स.** रू. 43750/– प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे. अधिकतम 87500/–
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give detils.	1. Per beneficiary Rs. 22000/- per Hect. & maximum upto 2 Hect. is Rs. 44000/- 2. Per beneficiary Rs. 23000/- per Hect. & Maximum upto 2 Hect. is Rs. 46000/- 3. Per beneficiary Rs. 43750/- per Hect. & maximum upto 2 Hect. is Rs. 87500/-
14.	क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है ।	हां
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes.
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।	हां हां
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Yes Yes
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	प्रति हे कॉस्ट लागत नाबार्ड द्वारा परिवर्तित होने पर एवं ऋण मांग परिवर्तनीय होगा। कोई विशेष नहीं।
	Additional details, if any	The loan amount will change if NABARD changes the unit cost of the crop. No any prescribed details.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नाम :– संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप–योजनावार प्रेषित की जाए।)	1) सूक्ष्म सिंचाई शासन योजना टपक/बूंद–बूंद सिंचाई 2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत 1. माडल नर्सरी की स्थापना (4 हे.) 2. मशरूम स्पान यूनिट 3. संरक्षित खेती अन्तर्गत ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर का निर्माण 4. प्राकृतिक वातायन प्रणाली अन्तर्गत टयुबलर स्ट्रक्चर का निर्माण 5. प्राकृतिक वातायन प्रणाली अन्तर्गत वुडन स्ट्रक्चर का निर्माण 6. प्राकृतिक वातायन प्रणाली अन्तर्गत बांस स्ट्रक्चर का निर्माण 7. बायो कन्ट्रोल लैब की स्थापना 8. प्लान्ट हेल्थ क्लिनिक की स्थापना 9. उद्यानिकी यंत्रीकरण 10. प्री कूलिगं यूनिट की स्थापना 11. कोल्ड स्टोरेज 12. रिपिनिंग चेम्बर का निर्माण
	Name of the scheme with Sub-Components, if any.	1) Drip Irrigation 2) 1. Model Nursery(4 Ha.) 2. Mushrooms Spawn Unit 3. Green House Structure under Protected Cultivation 4. Tubular Structure under Naturally Ventilated System 5. Wooden Structure under Naturally Ventilated System 6. Bamboo Structure under Naturally Ventilated System 7. Bio Control Lab 8. Plant Health Clinic 9. Horticulture Mechanization 10. Pre-cooling Unit 11. Cold Storage Unit 12. Ripening Chamber
2	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	1) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना 2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना
	Whether it is a Government of India/state Government sponsored Scheme ?	1) State & Central Govt. Scheme 2) State & Central Govt. Scheme
3	राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उद्यानिकी (कृषि विभाग)
	Nodal department/directorate at the State level responsible	Horticulture Department (Agriculture Department)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उप/सहायक संचालक उद्यान
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	Dy./Asst. Directore Horticulture

5	योजना का उद्देश्य	उपलब्ध जल की अधिकतम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना। उद्यानिकी फसलों का विकास एवं उत्पादन के पश्चात खराब होने से बचाने की योजना।
	Objective of the Scheme.	To increase Water used efficiency of available water . To protect crops after production.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	1. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। 2. उन्नीस जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। (जगदलपुर, कोण्डागांव ,कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जशपुर ,कोरिया, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद एवं राजनांदगांव)
	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	**1.** Being implemented in all Distt **2.** Being implemented in Nineteen District (Bastar, Kondagoan, kabirdham, Bilaspur, Mungeli, Raigarh, Sarguja, Balrampur, Surajpur, Korba, Durg, Balod, Bemetara, Jashpur , Koriya, Raipur, Balodabazar, Gariyaband & Rajnandgaon.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पुरूष/महिला आदि।	1) सभी वर्ग के भू–स्वामी कृषक।
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/ Wonen etc.	All types of Land holding farmers. .
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	1) भू–स्वामी कृषक जिनके पास ड्रिप/स्प्रींकलर प्रणाली लगाने हेतु उपयुक्त खडी फसल हो ।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	1) As per criteria prescribed by the NABARD. 2) Landowner farmer of the land to produce identified crops.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	1 – व्यक्तिगत स्तर पर 2– व्यक्तिगत स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	1 . Individual. 2 . Individual

10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।	**1–** संपूर्ण सहायता लागत के 90 प्रतिशत होगी। यह सहायता निर्धारित फसल एवं फसलों के बीच की दूरी के आधार पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक देय होगा। **2** 1. 4 हे. नर्सरी हेतु रू 3.125 लाख प्रति हे या 12.50 लाख अधिकतम अनुदान। 2. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के पूंजीगत व्यय पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 7.50 लाख अनुदान। 3. प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू. 7.325 लाख अनुदान। 4. प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू. 4.675 लाख अनुदान। 5. प्रति हितग्राही दो इकाईयों तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू. 1.288 लाख अनुदान। (प्रत्येक यूनिट 500 वर्ग मीटर से अधिक न हो।) 6. प्रति हितग्राही पांच इकाईयों तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू. 0.375 लाख अनुदान। (प्रत्येक यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक न हो।) 7. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 40.00 लाख अनुदान। 8. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10.00 लाख अनुदान। 9. प्रति हितग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 17500/– एवं 20 हार्सपावर से अधिक की मशीनेा हेतु अधिकतम रू. 1.50 लाख। 10. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के लागत के सामान्य क्षेत्र में 40 प्रतिशत तथा पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत अधिकतम रू. 6.00 लाख से रू.8.25 लाख तक 11. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के लागत के सामान्य क्षेत्र में 40 प्रतिशत तथा पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत अधिकतम रू. 120.00 लाख से रू. 165.00 लाख तक। 12. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के लागत के सामान्य क्षेत्र में 40 प्रतिशत तथा पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत अधिकतम रू. 120.00 लाख से रू. 165.00 लाख तक।

	Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution Credit linked back-ended subsidy @ 25 % of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly & Tribal Areas. **b.** Credit linked back-ended subsidy @ 25% of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly & Tribal Areas .	**1-** The assistant will be limited to 50 % of the cost of the System for the specified crop spacing and for the area Covered under the crop by the farmer. **2- 1**. For 4 Ha. Nurse Rs. 3.125 Lac per Ha. maximum Rs. 12.50 Lac. 2. Credit linked back-ended subsidy @ 50 % of the total project cost . maximum Rs. 7.50 Lac. 3. @ 50 % subsidy of the cost limited to 1000 sq. m. per beneficiary . maximum Rs. 7.325 Lac. 4. @ 50 % subsidy of the cost limited to 1000 sq. m. per beneficiary . maximum Rs. 4.675 Lac. 5. limited to 2 units not to exceed 500 sq.m per beneficiary.@ 50 % subsidy maximum Rs. 1.288 Lac. 6. limited to 5 units not to exceed 200 sq.m per beneficiary.@ 50 % subsidy maximum Rs. 0.375 Lac 7. Credit linked back-ended subsidy @ 50 % of the total project cost . maximum Rs. 40.00 Lac. 8. Credit linked back-ended subsidy @ 50 % of the total project cost . maximum Rs. 10.00 Lac. 9. . @ 50 % subsidy of the cost limited to one set per beneficiary . maximum Rs. 0175 Lac.& . maximum Rs. 1.50 Lac for above 250 H.P. Machines. 10. Credit linked back-ended subsidy @ 40 % of the total project cost in general areas and 55 % in case of Hilly & Tribal Areas . maximum Rs. 6.00 Lac to 5.25 Lac. 11. Credit linked back-ended subsidy @ 40 % of the total project cost in general areas and 55 % in case of Hilly & Tribal Areas . maximum Rs. 120.00 Lac to 165.00 Lac. 12. Credit linked back-ended subsidy @ 40 % of the total project cost in general areas and 55 % in case of Hilly & Tribal Areas . maximum Rs 120.00 Lac to 165.00 Lac.
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	नहीं
	whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other then subsidy being provided if so,details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है ।	**1.** फल,सब्जियों ,औषधि एवं सुगंधित फसलों के लिए कृषक प्रक्षेत्र पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की स्थापना । **2.** कृषक प्रक्षेत्र पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना ।
	Type of economic activities envisaged under the scheme.	**1-** Establishment of Drip/Sprinklar System i the farmer's **2-** Establishment of Cold Storage in the farmer field **.**

13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	**1.** रू. 26500/– प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 5 हे. अधिकतम **2–** 50.00 लाख प्रति इकाई प्रति हितग्राही (सामान्य) तथा 66.66 लाख पहाडी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give detils.	**1** . Per beneficiary Rs. 26500/- per Hect. maximum upto 5 Hect. **2.** 50 Lakh per unit Per beneficiary for general areas & 66.66 Lakh in case of Hilly & Tribal Areas.
14.	क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है ।	हां
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।	हां
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Yes.
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	कोई विशेष नहीं
	Additional details, if any	No any prescribed details

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नाम :– छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप–योजनावार प्रेषित करे। Name of the Scheme with Sub-components,if any	परिवार मूलक योजना Family Oriented Scheme.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है? Whether it is government of India/State Government sponsored Scheme ?	राज्य शासन State Government .
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड CG Khadi and Gramodyog Board.
4	जिला स्तर पर योजना कियान्व्यन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the Distict level responsible for implementing the Scheme	खादी बोर्ड में जिला अधिकारी। District Officer of Khadi Board.
5	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। Employment Generation in rural areas.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/ जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/ districts/blocks where the Scheme is under implementation	राज्य के सभी जिलों में योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। The scheme is being implemented in all the districts of the State.

7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/ अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/ पुरूष / महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/ Men/ Women, etc.)	सभी प्रकार के हितग्राहियों को योजनान्तर्गत सम्मिलित किये जाते है। All types of Beneficiaries.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो Eligibility criteria for the beneficiary, if any	18 वर्ष से अधिक उम्र वाले तथा बैंक से डिफाल्टर न हो। Age over 18 years and not a defaulter of bank.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनो व्यक्तिगत व्यक्तिगत समूह स्तर पर दी जाती है? Whether assistance is provided on an individual basis/both, individual and group basis.	व्यक्तिगत / समूह स्तर Both individual & group basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिये अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें) Whether assistance is provided on an individual/group basis or both.	परिवार मूलक योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अल्प संख्यक एवं सामान्य वर्ग को परियोजना लागत के 50% या अधिकतक 13500/– अनुदान देय जो भी कम हो। Maximum subsidy Rs. 13500/- Subsidy is providedto SC/ST/OBC/ General / Minority Category family 50% subsidy of the project cost or Rs. 13500/- whichever is less.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जायें। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of beneficiaries.	मार्जिन मनी (स्वयं का अंशदान) लगाने का प्रावधान नहीं है। No provision of margin money.

12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है? Type of econonic activities envisaged under the Scheme.	ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से तथा अनुदान बोर्ड द्वारा देय होता है। Loan amount is provided by National Bank & Cooperative Bank and subsidy is provided by the Department.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें? Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so, please give details.	अधिकतम एक लाख रूपये तक सीमा निर्धारत है। Maximum limit is Rs. 1.00 lacs.
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है? Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.	हितग्राही को बैंक द्वारा परियोजना लागत अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है। Loan is sanctioned to Beneficiaries as per Profect Cost.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल) तैयार कर लिये गये है? Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	नहीं No
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any.	योजना का कियान्वयन बीस हजार से कम आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा। Scheme implemented on Rural Areas, Population below twenty thousand.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नामः– ग्रामोद्योग संचालनालय (रेषम प्रभाग) रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप–योजनावार प्रेषित की जाए)	ग्रामीण रोजगार हितग्राही मूलक/परिवार मूलक कार्यक्रम– योजनांतर्गत निम्नानुसार उप योजना संचालित है– 1) टसर रेषम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम– अ) टसर धागाकरण योजना 2) अरण्डी पौधरोपण/ईरी रेषम उत्पादन योजना
	Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	Rural Employment beneficiary scheme/ Family oriented Programme. The following sub component schemes are going on- 1. Tasar silk development & Extension Programme (a) Tasar reeling scheme. 2. Eri Plantation (caster) / Eri Silk Production Scheme.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना है।
	Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	Both Govt of India & State sponsored scheme.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	ग्रामोद्योग विभाग के अधीनस्थ ग्रामोद्योग संचालनालय रेषम प्रभाग।
	Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	Directorate of Rural Industries (Sericulture Division).
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	ग्रामोद्योग संचालनालय, रेषम प्रभाग के अधीनस्थ जिला रेषम अधिकारी।
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	District Sericulture Officer.
5	योजना का उद्देश्य।	संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे गरीब परिवारों को तथा अन्य पिछड़े वर्ग को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना। रेषम योजना से ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर नवीन रोजगार का सृजन करते हुए कच्चे रेषम की मांग की आपूर्ति हेतु सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देना।
	Objective of the Scheme.	The main objectives are: - To provide gainful self-employment at local level to poor people and backward classes living in the rural areas. To meet the increasing demand of raw silk in the state. To generate self-employment under sericulture scheme the rural areas.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में	टसर रेषम विकास एवं विस्तार की योजना राज्य के

	क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	सभी जिलों में तथा अरण्डी पौधरोपण/ईरी रेषम उत्पादन योजना जषपुर, अंबिकापुर, कांकेर, कोरिया, रायगढ, रायपुर एवं जगदलपुर में संचालित है।
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State? If not, indicate the regions/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.	Tasar silk development & extension scheme is being implemented in all districts of the state & Eri silk production scheme is being implemented only in districts of Ambikapur, Jashpur, Kanker,Koriya, Raigarh, Raipur & Jagdalpur.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष /महिला आदि	योजनांतर्गत सीमांत/ भूमिहीन कृषक वर्ग के विषेष रूप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं मुख्य रूप से महिला वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme.(SF/MF/OF/SC/ST/ Others /Men /Women, etc.).	Marginal/Landless especially SC/ST & OBC mainly woman beneficiaries are being benefitted by these scheme.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	संचालित योजना हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है– अ) टसर धागाकरण – अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ सामान्य / पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों हेतु। ब) अरण्डी पौधरोपण / ईरी रेषम ककून उत्पादन योजना – अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ सामान्य/ पिछड़ा वर्ग के हितग्राही जो स्वयं की सिंचित भूमि में पौधरोपण (अरण्डी/षहतूत) करने के इच्छुक हों।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	Parameters for the Beneficiaries- (a) Tasar reeling:- For SC/ST/OBC beneficiaries. (b) Caster Plantation/ Eri Cocoon development scheme:- SC/ST/OBC beneficiaries who are interested to develop own mulberry or castor plantation in half/one acre irrigated land.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जावेगी।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Both individual & Group Basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।	वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेषम प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नही है। राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित योजना में मलबरी रेषम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत निजी क्षेत्र के हितग्राहियों को स्वयं की

	दर (%) न्यूनतम अधिकतम	भूमि पर प्रदर्षन प्लाट योजना हेतु राषि रू0 15000/– का सामग्री के रूप आर्थिक सहायता दी जा रही है।
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	No provision has been made to provide subsidy in the sericulture sector of Rural Industries. State Govt is providing Rs 15000/- as material cost & financial assistance for development of mulbery under demonstration plot scheme.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	ग्रामोद्योग संचालनालय रेषम प्रभाग द्वारा वर्तमान संचालित योजनाओं में किसी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नही होने से हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान नही है। राज्य साख योजना के अंतर्गत प्रस्तावित उप योजना हेतु निम्नानुसार हितग्राहियों द्वारा मार्जिन देने का प्रावधान प्रस्तावित है– 1 टसर धागाकरण– टसर धागाकरण रीलिंग एवं स्पीनिंग हेतु ईकाई लागत रू. 35450/– प्रति इकाई प्रस्तावित है। बैंक ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा निवेश किया जावेगा। 2 ईरी रेषम ककून उत्पादन योजना– ईरी योजना के अंतर्गत इकाई लागत रू0 15160/– प्रति एकड़ है। योजना में गुणवत्ता आधारित मूल्य पर ककून क्रय विभाग के ककून बैंक के माध्यम से किया जावेगा। उपरोक्त योजना की इकाई लागत बैंक ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा निवेश किया जावेगा।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	There is no provision of margin money in this scheme but it is proposed to give margin money under sub plan of State Credit Plan as under: - (1) Tasar Reeling: - Total unit cost of Reeling & Spinning Machines is Rs. 35450/- amount borne by beneficiaries through bank loan. (2) The unit cost of Eri development In 1 acre is Rs. 15160/-. In this scheme quality based cocoons have been purchased by department through cocoon bank, unit cost borne by beneficiaries through bank loan.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।	1 टसर धागाकरण (रीलिंग एवं स्पीनिंग) हेतु बैंक ऋण राषि रू0 35450/– प्रति इकाई । 2 अरण्डी पौधरोपण/ईरी विकास योजना रू0

		9000/– प्रति एकड़/इकाई लागत है।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme.	(1) Loan amount for Tasar reeling & spinning is Rs. 35450/- per unit approved by NABARD. (2) The unit cost of Eri development in 1 acre is Rs. 9000/-
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	उपरोक्तानुसार.
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	As above.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	हॉ, योजना में बैंक से ही ऋण का प्रावधान है।
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes, Provision of Bank Loan has been made in the scheme.
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	नही.
	Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	No.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	निरंक
	Additional details if any	Nil.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नामः– उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप–योजनावार प्रेषित की जाए)	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
	Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	Prime Minister Employment Generation Programme.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	खादी ग्रामोद्योग आयोग , मुम्बई द्वारा प्रवर्तित हैं।
	Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	KVIC Sponsored Scheme.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग।
	Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	Khadi & Village Industries Commision, Raipur
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	1) खादी और ग्रामोघोग आयोग। 2) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र। 3) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	1)Khadi & Village Industries Commision. 2) District Trade & Industries Center. 3) Khadi Gramodhyog Board.
5	योजना का उद्देश्य।	नये स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देष के ग्रामीण और षहरी क्षेत्रों रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
	Objective of the Scheme.	To generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through setting up new self-employment ventures / projects / micro enterprises.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में योजना क्रियान्वित की जा रही है।
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State? If not, indicate the regions/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.	This scheme is being implemented in all districts of the C.G.State.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत	सभी वर्ग सामान्य, अ.जा., अज.जा. एवं

	सम्मिलित किये गये है। (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष /महिला आदि)	पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, विकलांग वर्ग के हितग्राही सम्मिलित हैं।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme.(SF/MF/OF/SC/ST/ Others / Men /Women, etc.).	For all categories i.e. General/sc/st/obc/women/physically handicapped. Etc. are covered under the scheme.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	1. उम्र 18 वर्ष से अधिक हों। 2. विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित रू. 10.00 लाख से अधिक के परियोजनाओं तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में रू. 5.00 लाख से अधिक परियोजनाओं हेतु हितग्राहितयों को कम से कम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण हो।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	1. Age of beneficiaries should be above 18 year. 2. For setting up of Project casting above Rs.10.00 lakhs in the manufacturing sector and above Rs.5.00 lakhs in the business /Service sector, the beneficiares should prossess at least VII Standard pass education qualification.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	दोनों
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	both
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये। दर (%) न्यूनतम अधिकतम	सामान्य वर्ग–शहरी 15% ग्रामीण 25% विशेष वर्ग–अ.जा., अ.ज.जा. एवं पि.व., महिला आदि। शहरी 25% ग्रामीण 35%
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	General Category Urban -15%, Rural 25%, Special Category SC/ST/ Other/ Women etc. Urban -25%, Rural 35%

11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	सामान्य वर्ग –10% विशेष वर्ग–अ.जा., अ.ज.जा. एवं पि.व., महिला आदि – 5%
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	General Category -10% Special Category SC/ST/ Other/ Women etc - 5%
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।	उद्योग/सेवा
	Type of economic activities envisaged under the Scheme.	Industry/Services.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	उद्योग हेतु रू. 25 लाख एवं सेवा/व्यवसाय हेतु रू. 10.00 लाख रूपये.।
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	For industry Rs. 25.00 Lakhs and for Service/ Trade Rs. 10.00 Lakh.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	हां
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	नही
	Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	No
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	निरंक
	Additional details if any	Nil

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :–संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ, रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप– योजनावार प्रेषित की जाए)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) क्रियान्वित किए जाने का निर्देष प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन राज्य में 1 अप्रैल 2014 से पूर्ण रुप से लागू की जायेगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन सात विभिन्न घटकों से क्रियान्वित की जावेगी :– • कौषल प्रषिक्षण के माध्यम से रोजगार • सामाजिक गतिषीलता एवं संस्थागत विकास • प्रषिक्षण और क्षमता निर्माण • स्व–रोजगार कार्यक्रम • शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना • शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता • अभिनव और विषेष परियोजनाएं
	Name of the Scheme with sub-components,if any please give the following details sub-components wise if applicable.	The Centrally sponsored scheme Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana has been restructured and renaming as National Urban Livelihood Mission in the 12th Five year plan. The National Urban Livelihood Mission will be implemented in the State from 1st of April, 2014. National Urban Livelihood Mission will be implemented under 7 components • Employment through Skill Training & Placement • Social Mobilization & Institution Development • Capacity Building & Training • Self Employment Programme • Shelter for Urban Homeless • Support to Urban Street Vendors • Special / innovative Projects
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इसमें

	द्वारा प्रवर्तित है ।	भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंषदान क्रमषः 75:25 निर्धारित किया गया है ।
	Whether it is a government of India / State Government sponsored Scheme ?	This is a Centrally sponsored Scheme and the financing of the Mission shall be shared between the Centre and the States/UTs in the ratio of 75:25.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	राज्य शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण को नोडल विभाग बनाया गया है।
	Nodal Department/ Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	At the State Government level for the implementation of Scheme, the State urban Development Agency will be the Nodal Agency.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।	जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेष के समस्त जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण नोडल विभाग बनाये गये है।
	Nodal Office at the District Level responsible for implementing the Scheme.	At the District level for the implementation of the Scheme all District Urban Development Agency will be the Nodal agency.
5	योजना का उद्देष्य ।	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उदेष्य शहरी गरीब परिवारो को जमीनी स्तर पर संस्थाओं का निर्माण करके उनको लाभप्रद स्वरोजगार और कौषल के आधार पर वेतन मुक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना एवं उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है।
	Objective of the Scheme	To reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong

		grassroots level institutions of the poor.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रहीं है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्षाये जाए ।	12 वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (एनयूएलएम) को सभी जिला मुख्यालय नगरों एवं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100,000 एवं उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी अन्य शहरों में क्रियान्वित किया जाएगा। विषिष्ट मामलों में राज्यों के अनुरोध पर अतिरिक्त शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रदेष में राष्ट्रीय शहरी जीविका मिषन 28 शहरों में लागू होंगे, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई शहर सम्मिलित होगें।
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If mot, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation .	In the 12th Five Year Plan, NULM will be implemented in all District headquarter Towns and all other cities with a population of 100,000 or more as per 2011 Census. However, other towns may be allowed in exceptional cases on request of the States. In the State the National Urban Livelihood Mission will be implemented 28 cities, of which 27 District headquarter and Bhilai city will be included.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जानजाति अन्य पिछडे वर्ग/ पुरूष /महिला आदि ।	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (एनयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीबों से है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विक्रेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST / Other / Men/Women etc)	The target population of the National Urban Livelihood Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women,

		minorities, disabled etc.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	राष्ट्रीय शहरी जीविका मिषन (एनयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीब है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विक्रेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Eligibility ceiteria for the beneficiary, if any	The target population of the National Urban Livelihood Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनो व्यक्त्गित एवं समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।	योजनान्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme) में स्वयं का रोजगार स्थापति करने के लिये आर्थिक सहायता (ऋण+अनुदान) व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर दोनों ही स्तर पर दिये जाने का प्रावधान है ।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Yes, both individuals and groups are benefited in the scheme under various component. 1. Individuals are benefited under Programme called SEP- I (Self Employment Programme) Loan & Subsidy. 2-Women self Helf groups are benifited under Programme SEP- G (Self Employment Programme Group) Loan & Subsidy.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें । दर (%) न्यूनतम अधिकतम	व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रुपए 2 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रुपए 10 लाख होगी। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान, बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी स्वयं–सहायता समूहों पर भी लागू होगा। सभी शहरों में अपने ऋण का समय पर भुगतान करने वाले महिला समूहों को

		अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान प्रदान किये जावेगें।
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category-wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	To establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 2.00 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 10.00 lakh. Interest Subsidy over and above 7 percent rate of interest will be applicable to all SHGs accessing bank loan. An additional 3 percent interest subvention will be provided to all women SHGs/ Individual who repay their loan in time in all the cities.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हो तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जायें ।	योजनान्तर्गत हितग्राहियों को व्यक्तिगत उद्यम/परियोजना हेतु लागत सीमान्त राषि (मार्जिन मनी) का प्रावधान भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन में वर्णित नहीं है, योजनांतर्गत समूह ऋण प्रकरण हेतु हितग्राहियों का लागत सीमान्त राषि (मार्जिन मनी) का निर्धारण बैंकों के अनुसार किये जाने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन में उल्लेख किया गया है।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so details there of may please br provided for different categories of beneficiaries.	Under the Scheme margin money for Individual Enterprise is not mentioned in Guide Line provided by GoI.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगाररोन्मुखी प्रषिक्षण दिलाना, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कार्यषील पूॅजी की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख गाइड लाईन में किया गया है।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme	For the promotion of self employment of beneficiaries, under this component the beneficiaries will be supported for loan for

		manufacturing/ Service and Trading Activities.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रुपये 10 लाख निर्धारित की गई है।
	Whether any celling has been fixed on the financial outly for a single borrower/group if so. Please give details.	As per the guidline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013 Under this component, setting up of both individual and group micro enterprises will be supported. The project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रुपये 10 लाख निर्धारित की गई है।
	Whether any bank loan is envisaged unser the Scheme.	As per the guidline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013, the project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप–रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	वित्तीय वर्ष 2014–15 के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन वार्षिक कार्य योजना आवास एवं शहरी गरीबी उपषमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिषा–निर्देषानुसार तैयार कर अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाना है।

	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	The Annual Action plan for state is prepared as per the guideline of the Govt. of Indiaand is approved by Govt. of India.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	प्रदेष में राष्ट्रीय शहरी जीविका मिषन 28 शहरों में लागू होंगे, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई शहर सम्मिलित होगें। राज्य के शेष 141 निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) के लिए प्रावधान नहीं है। प्रदेष के 141 निकायों में गरीबी उपषमन एवं कौषल उन्नयन हेतु राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत पृथक परियोजना तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना है।
	Additional details if any	In the State the National Urban Livelihood Mission will be implemented 28 cities, of which 27 District headquarter and Bhilai city is included as per the guideline. Rest 141 ULBs are not covered under NULM guideline. In order to cover 141 ULBs, the separate state sponsored scheme for the promotion of Self employment and skill training will be formulated and will be sent to the Government.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण
विभाग का नाम :–महिला एवं बाल विकास विभाग

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप–योजनावार प्रेषित की जाए)	1. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना :– संचालन छ.ग. महिला कोष के माध्यम से किया जा रहा है। 2. सक्षम योजना :– विधवा, तालाक शुदा तथा 35 से 45 आयु वर्ग के अविवाहित महिलाएं।
	Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	1. Loan scheme for Women SHG, which is conducted through CG Mahila Kosh. 2. Loan scheme for Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 45 years which is conducted through CG Mahila Kosh.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष को उपलब्ध कराई गई राषि से।
	Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	Through the fund made available to the C.G. Mahila Kosh by State Government.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	महिला एवं बाल विकास विभाग (छ.ग. महिला कोष द्वारा संचालन)
	Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	Women & Child Development Department (Conducted through CG Mahila Kosh)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग पदेन जिला प्रबंधक, छ.ग. महिला कोष।
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	District Officer, Women & Child Development Department. ex- officio District Manager, CG Mahila Kosh.
5	योजना का उद्देश्य।	1. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना अंतर्गत :– महिला स्व सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। 2. सक्षम योजना अंतर्गत– ऐसी महिलाएं जो जीवन यापन में कठिनाईयां अनुभव कर रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक, स्वालंबी व समृद्ध जीवन के अवसर उपलब्ध कराएं।
	Objective of the Scheme.	1) Under the loan scheme for Women SHG:- Emplowerment of Women SHGs & provide

		financial support for making women economically empowered. 2) Sakshama Yojna :- To provide the independent and prosperous life and living opportunity to the women who are living in disastrous condition.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	समस्त 27 जिलें।
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State? If not, indicate the regions/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.	All 28 Districts.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष /महिला आदि	1. महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु ऋण योजना अन्तर्गत महिला स्व–सहायता समूह। 2. सक्षम योजना– ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो तालाकषुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग के अविवाहित महिला है।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme.(SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men /Women, etc.).	1. Women SHGs under the loan scheme for SHGs. 2. Sakshama Yojna- Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 45 years.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	A. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना :– 1. योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी महिला स्वयं सहायता समूह सहायता ऋण के लिए पात्र होंगे। 2. ऋण प्राप्ति के लिए केवल "A" समूह के आवेदन ही विचार योग्य होंगे। 3. स्वयं सहायता समूह गठन के एक वर्ष बाद ही ऋण आवेदन के लिये पात्र होंगे। 4. स्वयं सहायता समूह पूर्व में प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी के एक माह पश्चात पुनः कोष से ऋण आवेदन हेतु पात्र होंगे। इसके लिए उनको पूर्व में दी गयी ऋण राशि की सभी किश्तों की वापसी निर्धारित समय अवधि में किया जाना आवश्यक होगा। 5- ऋण स्वीकृति के समय महिला स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक गतिविधियों मे सक्रियता एवं सामाजिक क्रियाकलापों मे भागीदारी का भी

		ध्यान रखा जायेगा। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक मुद्दे। 6. स्वैच्छिक संगठन फर्मस एवं सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए तथा पंजीकृत हुए तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हों। 7. स्वैच्छिक संगठन महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 8. स्वैच्छिक संगठन महिला स्वयं सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के कार्य में संलग्न हो तथा इस क्षेत्र में कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हो इस हेतु कम से कम 25 नवीन स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं सशक्तिकरण का अनुभव होना आवश्यक होगा। पुराने कम से कम 25 स्वयं–सहायता समूहों को नये सिरे से संगठित करने व एक वर्ष तक संचालन करने में सहायता उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठन भी पात्र होंगे । 9. स्वैच्छिक संगठन के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड को पूर्ण करते हों । 10. स्वैच्छिक संगठन ऋण योजना में प्रावधानित नियमों, शर्तों एवं प्रक्रियाओं को पालन करने के लिये सहमत हो तथा उक्त आशय का अनुबंध करने को तैयार हो । 11. स्वैच्छिक संगठन एक समय में 5 स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि इनमें से किसी समूह द्वारा ऋण अदायगी पूर्ण कर ली जाती है तो वे पुनः 5 समूहों की निर्धारित सीमा के अंदर आवेदन कर सकेंगे। यदि कोई स्वैच्छिक संगठन 5 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो, पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूर्ण होने की स्थिति में जिला ऋण समिति अनुशंसा सहित ऐसे आवेदन पत्र स्वीकृति संबंधी कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड को प्रेषित करेगी जो इन पर निर्णय लेने में सक्षम होगा। ब. सक्षम योजना – 1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसी महिलाएं, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है

		अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की ऐसी महिलाएं जो अविवाहित है अथवा कानूनी तौर पर तालाकशुदा महिलाएं। 2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार न होने पर निम्न मध्यमवर्गीय आय की ऐसी हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जा सकेगा, जिसके परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम हो। 3. पति की मृत्य होने अथवा कानूनी रूप से तालाक शुदा होने की दशा में हितग्राहियों की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होना चाहिए। 4. हितग्राही छ.ग. राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। 5. ऐसी महिलाएं जिनके पति के मृत्य उपरान्त पुर्नविवाह किया हो उसे इस योजना के अन्तर्गत पात्रता नहीं होगी। 6. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी। प्रथम प्राथमिकता के लिए अधिक हितग्राही होने पर उनमें से न्यूनतम आयु सीमा के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	A)-Loan Scheme for Women SHGs:- 1. Under this scheme rural and urban women SHG are eligible for loan. 2. For taking loan application of only "A" grade group will be considered. 3. Self help groups will be eligible for Loan application only after one year of formation. 4. Self Help Group after payment of previous loan will again be elligible to apply for loan from kosh. For this it is necessary that they should have paid all the installments of loan taken earlier within the prescribed time. 5. At the time of sanction of loan participation in social activities of self help group will be keep in mind. For eg. Education, Health, Nutrition, Environment and other social issues. 6. NGO should be registered under firms and socities registration Act and registration should have completed 3 years. 7. NGO should be recognized by Women and Child Development Department. 8. NGO's should be attached with formation of Women SHG and empowerement and

		should have sufficient experience in this field. For this they should have experience of formation of at least 25 new SHG and their empowerement. Those NGOs who are working for re-organization of 25 old SHGs and have helped to run for at least one year will also be eligible. 9. Self Help group, which was consitutued by NGO, should fulfill the prescribed norms. 10.NGO should agree to follow the prescribed rules, conditions and procedure of loan scheme and should agree to sign agreement for the above said procedure. 11.NGO can apply for loan application for 5 SHG at a time. If any of the Group pays the loan amount then they can again apply for 5 SHG in prescribed limit. If any NGO applies for more than 5 SHG loan then in the condition of fulfilling all the eligibilty criteria District Loan Committee will forward the loan application with their recommendation to Executive Board of Chhattisgarh Mahila Kosh who will take decision in this matter. B.Sakshama Yojna:- 1. The women living below poverty line who has lost their Husband, Unmarried Women who are aged between 35 for 45 years or legally divorcee. 2. If the above beneficiary does belong to BPL family then the monthly Income of the family shall be below then 48000 per year. 3. The women who has lost their husband or who are legally divorcee shall be aged between 18 to 50 years. 4. The bens must be the original resident of Chhattisgarh state. 5. The women who has lost their husband and they have remarried again with someone shell not be covered under the scheme. 6. Bens belong to SC/ST category shall be given the topmost priority. The first priority will be given on the minimum age basis.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	1. महिला स्वयं–सहायता समूहों के लिए ऋण योजनांतर्गतः– समूह स्तर पर। 2. सक्षम योजना योजनांतर्गतः– व्यक्तिगत स्तर पर।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	1. Under the loan scheme- Group level. 2. Sakshma Yojna- Individual level.

10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये। दर (%) न्यूनतम अधिकतम	1. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजनांतर्गतः– अनुदान नही ऋण प्रदान किया जाता है। 6.5 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर समूह को एवं 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एन.जी. ओ. को ऋण प्रदान किया जाता है। प्रथम बार में 25000/– रूपये तथा इसके निश्चित समयावधि में भुगतान करने पर समूह को दूसरी बार में 50000/– रूपये तक ऋण प्रदान किया जा सकेगा। 2. सक्षम योजना अन्तर्गत– कोई अनुदान नहीं दिया जाता है, अपितु स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु रूपये 1 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है।
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	1. Under the loan scheme no Subsidy but only loan is provided. The rate of interest is 6.5% to SHG group & 5.5% to NGO. First time loan is provided for up to Rs 25000/- & if the loan is repaid in the prescribed time limit a loan of Rs. 50000/- can be provided to Groups for second time. 2. Under the Sakshama Yojna- No Subsidy but only loan is provided to the individual. The rate of interest is 6.5%. The loan amount is up to 1 lakhs per bens. The loan is provided in the multiplication of Rs 20000 as per demand. The repayment period is 5 years.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	नही
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No margin money is required.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।	1) महिला स्व–सहायता समूहों हेतु ऋण योजनान्तर्गत– लघु व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि कोई भी आर्थिक गतिविधि जो समूह चाहता है। 2) सक्षम योजना अन्तर्गत– स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु कोई भी गतिविधि।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme.	1) Under the loan scheme for women self helf groups:- Small Business, Agriculture, Animal Husbandary, Fisheries, Small Scale Industries etc. any economic activity which SHG chooses.

		2) Sakshama Yojna:- Any activity to start their own business.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	1. महिला स्व–सहायता समूह हेतु ऋण योजना अन्तर्गत– अ. 25 हजार तक ऋण प्रथम बार, ब. 50 हजार तक ऋण द्वितीय बार। 2. सक्षम योजना अन्तर्गत– कोष से प्रदाय किये जाने वाले ऋण की सीमा 1 लाख रूपये लगायी गई है। आवेदक अपनी राशि अतिरिक्त रूप से लगा सकते हैं।
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	1. Under the loan scheme for women self help groups:- (a) 25000/- Loan first time. (b) 50000/- Loan Second time 2. Sakshama Yojna:- The maximum limit of the loan provided under this scheme through kosh is Rs 1 lakhs per benificiary. The benificiary may add own capital up to any extent.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	नही
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	No
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	योजना तैयार कर लागू की गई।
	Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Scheme has been formulated.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	निरंक
	Additional details if any	Nil.